70

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या– /x–2–2012–20(1)/2005
देहरादून: दिनांक 17 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2012

विज्ञप्ति/अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927(अधिनियंम सख्या 16,1927) की धारा 76 सपठित धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायती वन (संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 (ख) का संशोधन 2. उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2005 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है, के मूल नियम 7 (ख) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7.(ख)जब प्रबन्धन समिति का यथाविधि गठन हो जाये तो वे अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच चयन करेगें। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर परगना मजिस्ट्रेट सदस्यों एवं सरपंच का नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।	7. (ख) प्रदेश में वन पंचायत सरपंचो के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होगे। नियम–7(1)(क) अनुसार प्रबन्धन समिति का यथाविधि गठन हो जाये तो वे अपने में से बहुमत द्वारा सरपंच का चयन करेगे, सरपंच के 50 प्रतिशत पद पर महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में गठित प्रत्येक वन पंचायत प्रबन्धन समिति में एक बार महिला तथा एक बार पुरूष सरपंचों का चयन किया जायेगा। सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत गठित/पुर्नगठित होने वाली वन पंचायतों में महिला व पुरूष सरपंच के चयन का रोस्टर अभिलिखित कर सम्बन्धित ग्राम में प्रचारित करेगा। गठन प्रक्रिया समाप्त होने पर उप जिलाधिकारी सदस्यों एवं सरपंच के नाम वन पंचायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और उनके हस्ताक्षर उक्त रजिस्टर में प्राप्त करेगा।

नियम 11 का संशोधन 3. मूल नियमावली के नियम 11 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11.प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम	11. प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त ग्राम वनों/पंचायती वनों के लिये पॉच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा। संहत प्रबन्ध योजना में वन पंचायतों को ग्राम

वनों/पंचायती वनों के लिये पॉच वर्ष की अवधि के लिये एक संहत प्रबन्ध योजना बनायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

पंचायतो से जोड़ने बावत वन क्षेत्रों में वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण कार्यों को भी समाहित किया जायेगा और इसे सम्बन्धित वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं वन संरक्षक बिना संशोधन के अथवा संशोधन सहित 60 दिनों के अन्दर अपना अनुमोदन देगा।

नियम 15 (ग) का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 15(ग) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15.(ग)यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल खत्म हो जाये और नयी प्रबन्धन समिति का गठन न हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 मास हेतु बढाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि में प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।	15.(ग) यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रबन्धन समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाये और नयी प्रबन्धन समिति का गठन न हो सके तो कलेक्टर को उक्त प्रबन्धन समिति का कार्यकाल 6 मास हेतु बढाने की शक्ति होगी और कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त विस्तारित अवधि के प्रथम 3 मास के अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा प्रबन्धन समिति के गठन हेतु चुनाव की पूर्ण तैयारी शुरू कर दी है और प्रत्येक दशा में विस्तारित अवधि में ही प्रबन्धन समिति का गठन हो जाये।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या (1)/x–2–2012–20(1)/2005, तद्दिनॉकित.

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे विज्ञप्ति/अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की एक हजार प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

1278
संख्या (2)/x–2–2012–20(1)/2005, तद्दिनॉकित.

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (A&E), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
7. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
11. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड।
16. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जिला पंचायत अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायतें, उत्तराखण्ड।
18. भारतीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव